न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2024 / 70)

मुकदमा नम्बर :–07 / 2024

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर ———————— प्रार्थी

बनाम

रामशंकर पुत्र श्री विशम्बर जाति ठाकुर निवासी मझउआ ग्राम पंचायत अजीतपुर तह0 बाडी जिला धौलपुर।

————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –
1 – प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसुमाकर गर्ग एडवोकेट

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

निर्णय *दिनांक* 04.03.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 25.09.2024 को अप्रार्थी रामशंकर की दुकान श्रीभगवान कॉलेज के पास सैपऊ रोड पर घरेलू एलपीजी की अवैध रिफलिंग एवं दुरूपयोग के सम्बध में कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त दुकान में कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, 01 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 02 पाईप पाये गये जिनमें से एक घरेलू गैर सिलेण्डर इलैक्ट्रिक मोटर से जुडा होना पाया गया। अप्रार्थी ने स्वंय द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस ऑटो में भरने का कार्य 65 / –रू0 प्रति किग्रा से करना बताया जिस बावत वक्त जांच कोई वैद्य दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर आस–पास पूछे जाने पर लोगों द्वारा अप्रार्थी के द्वारा गैस रिफलिंग का कार्य करने की पुष्टि की गई। मौके से कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, 01 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 02 पाईप जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफलिंग कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी.कंट्रोल आर्डर 2000 के

जिला कलक्टर
धौलपुर

उपबंधो का उल्लधन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर उक्त जब्त शुदा सामग्री को तसीमों इण्डेन ग्रामीण वितरक,तसीमों के डिलीवरी मैन श्री राहुल सिंह परमार की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 2.31 किग्रा, 01 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 02 पाईप को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति फर्द मौका, जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा नजरीनक्शा पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि उक्त जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय तार तथा दो पाइप उत्तरदाता के नहीं है। और उक्त जब्तशुदा सामान से अप्रार्थी को कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस ऑटो में भरने का कार्य नहीं किया गया इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता है। अप्रार्थी को उक्त जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात करने में कोई आपत्ति नहीं है। और अप्रार्थी कभी भी उक्त सिलेण्डरों को प्राप्त करने हेतु क्लेम नहीं करेगा। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी रामशंकर ने अपने बयानो में स्वंय द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस ऑटो में भरने का कार्य 65/–रू0 प्रति किग्रा से करना बताया जिस बावत वक्त जांच कोई वैद्य दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर आस पास पूछे जाने पर अप्रार्थी दुकान पर ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी रिफलिंग का कार्य करना बताया है। मौके पर जब्त धरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान अप्रार्थी का ही है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, 01 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 02 पाईप अप्रार्थी के नहीं है और अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्य में प्रयोग नही किया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराधन नहीं किया गया है और अप्रार्थी का जब्तशुदा सामान से कोई सम्बध सरोकार नहीं है। जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि

जिला कलक्टर
धौलपुर

दिनांक 25.09.2024 को अप्रार्थी रामशंकर की दुकान श्रीभगवान कॉलेज के पास सैपऊ रोड पर स्थित दुकान पर घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के व्यावसायिक कार्य में किये जाने की जांच के दौरान मौके पर दुकान में कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, 01 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 02 पाईप पाया जाना एवं अवैध रिफिलिंग कार्य किया जाना पाया गया। अप्रार्थी ने अपने बयान में अंकित किया है कि वह दुकान पर ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी रिफलिंग का कार्य करता है। उसके द्वारा ऑटो में गैस 65 रू प्रति किग्रा की दर से भरना बताया गया है। मौके पर अप्रार्थी की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक कार्य में करता है। अप्रार्थी ने उक्त कथन अपने बयानों में स्वीकार किया है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस 02.31किग्रा, 01 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 02 पाईप को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी धौलपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज.)